

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 18/2023 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2023/38

अनवान

1. श्री विकेश भोई पिता श्री कालूलाल भोई निवासी मन्दिर के पीछे घाटी दरवाजा बाहर, ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी गर्ग पत्नी श्री विनोद कुमार गर्ग निवासी लौहारवाडा, ऋषभदेव जिला उदयपुर।
2. ग्राम पंचायत ऋषभदेव जरिये सचिव, वर्तमान नगर पालिका ऋषभदेव जरिये अधिशाषी अधिकारी।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री धीरेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री भवानीशंकर विपक्षी संख्या 2।

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996
विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव के पट्टा संख्या 18009 मिसल संख्या
52/2 आदेश दिनांक 20.02.2003

*** निर्णय ***

दिनांक-23.10.2024



प्रकरण मे निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के ग्राम पंचायत ऋषभदेव के मिसल क्रमांक 52/2 पट्टा संख्या 18009 दिनांक 20.02.2003 के विरुद्ध मय स्थगन प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.2002 के आवेदन पर दिनांक 20.02.2003 को मिसल संख्या 52/2 निर्णित करते हुए आदेश पारीत किया गया व विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विपक्षी संख्या 2 द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख करते हुए पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत पट्टा संख्या 18009 के जरिये पंचायती पट्टा जारी फरमा दिया गया। उक्त विक्रय विलेख/पंचायती पट्टा जारी करने का आदेश सर्वथा विधि विरुद्ध, बैबुनियाद है व विपक्षी संख्या 2 द्वारा

आतारक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)



तथ्यों व विधि की भूल कारीत कर जारी किया गया है। जिस कारण उक्त पट्टा निरस्त फरमाये जाने योग्य होने से यह निगरानी याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.10.2002 में स्वयं विपक्षी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया है कि " ग्राउण्ड के पास पंचायत की दुकानों के पीछे कुछ भूमि पडी है वहां पर मेरे पत्थर पडे हुए है तथा मेरा उक्त भूमि पर कब्जा है। पत्थर पडे हुए वह पांच-छः वर्षो पूर्व मेने डलवाये थे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भूमि आपसी बातचीत के आधार पर मुझे किमतन देने का कष्ट करावे किमत जो भी होगी मै जमा कराने को तैयार हूं।" स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पत्थर डाले जाने का कथन किया जाना अतिक्रमण का पर्याय है। तथा उक्त अतिक्रमण सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर होना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है बावजूद इसके विपक्षी संख्या 1 के आपराधिक कृत्य के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही न की जाकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उक्त पट्टा जारी फरमा दिया गया ऐसी स्थिति में यह पट्टा आरम्भतः अवैध होकर शुन्य व निष्प्रभावी है। जिस कारण उक्त पट्टा निरस्त फरमाया जाना न्याय हित में अतिआवश्यक है। यह कि पंचायती राज नियम 1996 में स्पष्ट प्रावधान है कि बातचीत के आधार पर आबादी भूमि का अन्तरण तभी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के स्वत्व संबंधी दावा किया गया हो और उक्त भूमि की नीलामी से उचित किमत प्राप्त नहीं हो सकती हो साथ ही बाजार या वाणिज्यिक क्षेत्र में ऐसी भूमि की बाजार किमत निवासी क्षेत्र के लिए नियम किमत की दुगनी से कम नहीं होगी। सभी नियमों की अवलेहना करते हुए विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया जो कि विक्रय राशि 9000/- अक्षरे नो हजार रूपया प्राप्त कर अन्तरित किया गया है जो कि विधि व नियमों के अवहेलना के साथ साथ राजस्व अथवा ग्राम पंचायतों को आर्थिक नुकसान कारीत करने वाला कृत्य है जिस कारण उक्त पट्टा नियमों के विपरित होने से निरस्त फरमाया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में करते हुए जो प्रमाण पत्र(पट्टा जारी किया गया है, कि कलम संख्या 3 में स्पष्ट वर्णित किया है कि "उक्त नीलामी अद्यतन यथा-संशोधित राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 150 से 152 के अनुसरण में किया गया था।" विपक्षी संख्या 2 द्वारा ना ही प्रतियोगिता सम्य

आतोरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

नीलामी की गई ना ही ढुंढी पीटाई की गई ना ही नीलामी संबंधी उद्घोषणा की गई ना ही नीलामी संबंधी चस्पानगी गांव के बाजार अथवा सदृश्य स्थान और पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई। इसके अलावा नीलामी समिति की विहित शर्तानुसार समिति का गठन भी नहीं किया गया ना ही बाजार किमत का सही मुल्यांकन किया गया ऐसी स्थिति में अधिनियम व नियमों के विपरित जा कर विपक्षी संख्या 2 द्वारा आदेश पारित किया जाना, विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आबादी भूमि का विक्रय विलेख कर पंचायती पट्टा जारी किया जाना अवैध व गैर कानूनी है। जिस कारण उक्त पंचायती पट्टा निरस्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जिस भूमि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर बिकाव भूमि का पट्टा दिये जाने का कथन किया गया है, उस भूमि के संबंध में विपक्षी संख्या 1 ने न ही आराजी नम्बर अंकित किया है ना ही पडौसान अंकित किये है, ना ही भुखण्ड का क्षेत्रफल किया है। जिस कारण विपक्षी संख्या 1 का आवेदन प्रथम दृष्टया स्वीकार ही नहीं था फिर भी विपक्षी संख्या 2 द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त कर मनमाफिक तरीके से विपक्षी संख्या 1 के आवेदन पर सुनवाई की, पत्रावली चलाई व अधिनियम व नियमों के विपरित जा कर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया जो अवैध होकर काबिले निरस्त है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के समक्ष मनगढन्त कहानी बनाते हुए स्वयं के लिए पूर्व में अपना वैवाहिक आवास मकान होने बावजूद आवेदन किया जबकि उक्त भूमि सार्वजनिक भूमि होकर किडास्थल/खेल मैदान का एक भू-भाग है। जो मौके पर सामुदायिक भवन के पास में स्थित होकर मैदान में प्रवेश करने का क्षेत्र है जहां आम तौर पर ग्रामवासियों द्वारा उक्त परिसर का उपयोग खेल कुद हेतु लिया जाता है व इसके अतिरिक्त सामुदायिक भवन में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग होकर उक्त स्थान पर वाहनों आदि की पार्किंग की जाती है वास्तव में विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि पर ना ही कभी पत्थर डाले गये ना ही विपक्षी संख्या 1 का कोई कब्जा है। मात्र गलत तथ्यों के आधार पर उक्त भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने की दुमंशा से विपक्षी संख्या 1 ने काल्पनिक कहानी रची है जिसमें विपक्षी संख्या 2 के मार्फत विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी फरमा दिया गया जो सर्वथा अनुचित व विधि विरुद्ध होकर काबिले निरस्त है। पट्टे की पत्रावली में कही भी सरपंच के अलावा सचिव के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य, भूमि के कब्जे संबन्धित भूमि के दस्तावेज मौजूद नहीं है। वाद कारण दिनांक 01.04.2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी पार्क में गया व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)



सार्वजनिक भूमि पर निर्माण सामग्री देखी व विपक्षी संख्या 1 व पाषण्ड से रिकार्ड देखने पर गलत पट्टा जारी होने का ध्यान में आया व जानकारी में आते ही अपील प्रस्तुत की। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि उक्त निर्माणायाचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.02.2003 को अपास्त किया जाकर पट्टा संख्या 18009 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रही। विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करनी चाही।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि गीता के नाम से ग्राम पंचायत में पट्टा का आवेदन किया। सामुदायिक भवन के पिछे जमीन पर खाली भूखण्ड पर पत्थर डालने की बातचीत के आधार पर पट्टा मिला है। पट्टे की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। धारा 150 मे नीलामी का प्रोसेस है लेकिन नीलामी नहीं की गई। सार्वजनिक भूमि है मीलीभगत कर कार्यवाही की गई है। क्षेत्रफल नहीं बताया है, रहने लायक जमीन नहीं है। पट्टा नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रकरण स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में निम्न नजीर पेश की:-

- Jhumar Ram vs Add. dist. collector (2017) 2 WLC (Raj) UC120
- Bhanwar Lal & ors vs Motilal & ors (2009)0Sup.(Raj) 64, (2009) 1RLW (rj) 151
- Issack Khan vs State of Rajasthan & ors. (2019) 2 DNJ 570: (2018) & RLW 3326: (2019)2 WLN 418
- Snoi Bai vs Simbhu Revision No. 61/Alwar of 2000
- पंचायतीराज नियम 1956 धारा 156 का स्पष्टीकरण
- श्रीमती शांतिदेवी बनाम राजस्थान राज्य (2017)2Wac (raj)128

आतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)



विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मौके पर विवाद है, सार्वजनिक जमीन है। पट्टे के पक्ष में कथन गीता देवी का स्वयं उपस्थित होकर करने चाहिए। वह अनुपस्थित रही है। प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। रिकॉर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ कार्यालय के रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रार्थीया श्रीमती गीतादेवी पत्नी विनोद गर्ग द्वारा ग्राम पंचायत ऋषभदेव के समक्ष दिनांक 29.10.2002 को कब्जे सूदा जमीन किमतन दिलाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 52/02 दर्ज किया जाकर पट्टे की कार्यवाही की गई। दिनांक 29.10.2002 से आपत्ति पत्र जारी किया गया जिसकी प्रति मौके पर चस्पानगी की रिपोर्ट अंकित कर रखी है। दिनांक 29.10.2002 को निर्णय पत्र जारी कर पट्टा जारी किया जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 07.12.2002 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई। दिनांक 28.12.2002 सके तीना पंचो की लिखित राय प्राप्त की गई। मौके का नजरी नक्शा तैयार किया गया। संकल्प संख्या 8 दिनांक 20.02.2003 से राशि 9000/- रूपया पर पट्टा दिनांक 18009 दिनांक 20.02.2003 जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार पट्टा दिया जाने की कार्यवाही की गई है। पट्टा जारी करने के पश्चात श्रीमती गीता देवी द्वारा दिनांक 24.03.2003 को दुकान, मकान बनाने की स्वीकृति चाही गई। जिस पर प्रकरण संख्या 106/03 दिनांक 24.03.2003 को दर्ज की जाकर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 24.03.2003 से आपत्ति प्राप्त करते हुए, पर्चा मौका तैयार कर दिनांक 05.04.2003 से निर्णय पारित कर भूमि में पत्रावली में दर्ज नक्शा के आधार पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्कालीन ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा प्रार्थीया श्रीमती गीता देवी के आवेदन पर पूर्ण रूप से सुनवाई कर नियमानुसार पट्टे की कार्यवाही की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में तर्क दिया है कि बिना प्रक्रिया अपनाए गलत पट्टा जारी कर दिया गया है, जबकि अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली के अवलोकन से एसी कहीं पर भी प्रतीत नहीं होता है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पट्टा जारी करने में कोई त्रुटि की गई हो। पट्टा जारी किया गया है एवं पट्टे


अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

जारी करने के बाद निर्माण स्वीकृति भी जारी की गई है। उक्त कार्यवाही सार्वजनिक रूप से की गई है, यदि किसी को आपत्ति होती तो तत्समय भी प्रस्तुत की जा सकती थी। यह भी स्पष्ट है कि पट्टा जारी किया जाने के बाद निर्माण स्वीकृति जारी कर नक्शा अनुमोदित किया गया है जो की स्पष्टया मौका देखने के बाद ही किया गया होगा, यदि गलत पट्टे का तथ्य है तो वह निर्माण स्वीकृति के वक्त रेकार्ड पर आ जाता, जबकि पट्टा पत्रावली में एसी कोई आपत्ति संबन्धित रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली में जो नजरी नक्शा संलग्न है उसमें भी आवंटन की गई भूमि का अंकन स्पष्ट रूप से किया गया है जिसमें भूखण्ड का स्पष्ट वर्णन अंकित किया है। पट्टा दिनांक 20.02.2003 को जारी किया गया है एवं निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी दिनांक 08.06.2023 को लगभग 19 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में यह कहीं नहीं बताया है कि निगरानीकर्ता इस पट्टे से कैसे प्रभावित है, केवल मात्र कथन करने से 19 वर्ष पूर्व दिये गये पट्टे को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी याचिका अन्तर्गत धरा 97 पंचायतीराज अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय की एक-एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. ऋषभदेव एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका ऋषभदेव को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।



निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह रावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)
उदयपुर